कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 46 दिनांकः– 11.1.18

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) वनभूमि का सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति (स्टेज–I) के शर्त्तों का अनुपालन के संबध मे।

प्रसंग :– झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक वनभूमि – 07/2017–3428 व0प0 दिनांक 12.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फॉरवार्ड कैम्प की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) वनभूमि अपयोजन की 12 शर्त्तो के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज–I) प्रदान की गई है। स्वीकृत्यादेश में लगाए गए शर्त्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के पत्रांक 2713 दिनांक 17.10.2017 प्राप्त हुआ था, जिसमें कंडिका–2 से संबंधित NPV की राशि RTGS से जमा किया गया था। अतः इस कार्यालय का पत्रांक 1171 दिनांक 15.12.2017 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को NPV की राशि भारत सरकार के निर्देश के आलोक में संबंधित e-portal के माध्यम से चालान प्राप्त कर जमा करने हेतु निदेशित किया गया था। पुनः वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा के पत्रांक 84 दिनांक 08.01.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि Online जमा कर दिये जाने की सूचना दी गयी है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शर्त्तों के अनुपालन की स्थिति बिन्दुवार निम्नवत है :–

क्र0सं0	शर्त्तें	अनुपालन
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	अपयोजन स्वीकृत वनभूमि की वैधानिक स्थिति नहीं बदले जाने की शर्त्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। इस संदर्भ मे प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 1283 दिनांक 19.09.2017 द्रष्टव्य है। **अनुलग्नक–1**

D:\SUNIL\Proposal (K)\Police Picket\gua camp.docx

11.01.18

2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या– WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाले 1.0121 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु अपयोजन स्वीकृत 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) का N.P.V. की राशि प्रमण्डलीय कार्यालय के माँग पत्र के अनुरूप संगणित राशि 7,38,833/– (सात लाख अड़तीस हजार आठ सौ तैतीस) रूपये भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से RTGS के द्वारा कैम्पा लेखा संख्या – CAF. Jharkhand SB-01025212 में जमा किया गया था, परन्तु इसे e-portal के माध्यम से चालान generate कर जमा नहीं किया गया था। पुनः वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा ने अपने पत्रांक 84 दिनांक 08.01.2018 सभी अनुलग्नकों के साथ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में RTGS से जमा राशि वापस होने पर उसी के स्थान पर NPV की कुल राशि 7,38,833/– (सात लाख अड़तीस हजार आठ सौ तैतीस) रूपय संबंधित e-portal के माध्यम से जमा किया गया है, जिसका UTR No. SBINR52018010300216888 है। (विहित प्रपत्र में सूचना संलग्न)। **अनुलग्नक –2**
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करने संबंधी शपथ पत्र दिया गया है, जो **अनुलग्नक –3** के रूप में संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि e-payment के माध्यम से CAMPA खाता 1507219926363429 में कर दिया गया है। जमा रसीद **अनुलग्नक –5** में द्रष्टव्य है।
5	प्रस्तावित वनभूमि में पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के कम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 16 वृक्ष से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के क्रमाक – 5 में प्रतिवेदित किया है कि कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में 16 वृक्ष से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। **अनुलग्नक –4**
6	पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के उपरान्त, जहाँ संभव हो सके, प्रस्तावित वनभूमि के खाली स्थानों पर वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है कि पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के उपरान्त प्रस्तावित क्षेत्र के खाली स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जायेगा। **अनुलग्नक –1**
7	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19. 09.2017 के कमाक –7 में प्रतिवेदित किया है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा। **अनुलग्नक –1**

11.01.18

D:\SUNIL\Proposal (K)\Police Picket\gua camp.docx

8	वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक –8 में प्रतिवेदित किया है कि वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा। **अनुलग्नक –1**
9	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक–9 में प्रतिवेदित किया है कि यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण पंजी रखी जायेगी, जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जाँच कराई जायेगी। **अनुलग्नक –1**
10	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारो द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक – 10 में प्रतिवेदित किया है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों / ठेकेदारो द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। **अनुलग्नक –1**
11	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमांक – 11 में प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा। **अनुलग्नक –1**
12	उपर्युक्त शर्त्तो में से किसी भी शर्त्त का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के क्रमाक– 11 में प्रतिवेदित किया है कि भूमि के अपयोजन हेतु स्वीकृत्यादेश में वर्णित शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा। **अनुलग्नक –1**

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विषयगत परियोजना हेतु प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्त्तों का अनुपालन कर दिया गया है अथवा वचनबद्धता दी गयी है। वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दी गये निर्देश के आलोक में स्टेज–I का अनुपालन भेजने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

D:\SUNIL\Propesal (K)\Police Picket\gua camp.docx 11.01.18

अनुपालन प्रतिवेदन (Online सहित)की दो प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) के लिए अंतिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 46 दिनांक 11.1.18

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को निराकरण प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.01.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

11.1.18

O/C

D:\SUNIL\Proposal (K)\Police Picket\gua camp.docx

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर।

(वन भवन, सी0एच0 एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो0-सोनारी, जमशेदपुर-831011)
दूरभाष संख्या- 0657-2222995, ई-मेल- rccf.jsr@gmail.com

पत्रांक 2713 / जमशेदपुर -11, दिनांक 17-10-17

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ।।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
-सह-
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉची ।

विषय :- गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत 2.5 एकड़ (1.0121हे0) वनभूमि का सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति (स्टेज-I) के शर्त्तों का अनुपालन के संबंध मे।

प्रसंग :- 1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ,रॉंची का पत्रांक वनभूमि -07/2017-3428 व0प0 दिनांक 12.08.2017
2. आपका ज्ञापांक 721 दिनांक 21.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फॉरवार्ड कैम्प की स्थापना हेतु राज्य सरकार के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा 2.5 एकड़ (1.0121हे0) वनभूमि अपयोजन की 12 शर्त्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-I) प्रदान की गई है । स्वीकृत्यादेश में लगाए गए शर्त्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 1914 दिनांक 3.102017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शर्त्तों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

,कमांक	शर्त्त	अनुपालन
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	अपयोजन स्वीकृत वनभूमि की वैधानिक स्थिति नहीं बदले जाने की शर्त्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। इस संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 1283 दिनांक 19.09.2017 द्रष्टव्य है । **अनुलग्नक-1**
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ,नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या- WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाले 1.0121 हे0 वनभूमि के	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु अपयोजन स्वीकृत 2.5 एकड़ (1.0121हे0) का N.P.V. की राशि प्रमण्डलीय कार्यालय के माँग पत्र के अनुरूप संगणित राशि 7,38,833/- (सात लाख अड़तीस हजार आठ सौ तैंतीस)

	NPV की राशि वसूलनीय होगी।	रूपये भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से RTGS के द्वारा कैम्पा लेखा संख्या – CAF. Jharkhand SB-01025212 में जमा किया गया है (विहित प्रपत्र में सूचना संलग्न)। **अनुलग्नक –2**
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है,तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है ,तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करने संबंधी शपथ पत्र दिया गया है, जो **अनुलग्नक –3** के रूप में संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि RTGS के माध्यम से CAMPA खाता संख्या–CAF. Jharkhand SB-01025212 में जमा कर दिया गया है जमा रसीद अनुलग्नक – 2 में द्रष्टब्य है।
5	प्रस्तावित वनभूमि में पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के कम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 16 वृक्ष से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक – 5 में प्रतिवेदित किया है कि कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में 16 वृक्ष से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। **अनुलग्नक –4**
6	पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के उपरान्त ,जहाँ संभव हो सके, प्रस्तावित वनभूमि के खाली स्थानों पर वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है कि पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के उपरान्त प्रस्तावित क्षेत्र के खाली स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
7	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक –7 में प्रतिवेदित किया है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।
8	वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक –8 में प्रतिवेदित किया है कि वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।
9	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक –9 में प्रतिवेदित किया है कि यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण पंजी रखी जायेगी, जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जाँच कराई जायेगी।

97

10	परियोजना में कार्यरत मजदूरों / ठेकेदारो द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक – 10 में प्रतिवेदित किया है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों / ठेकेदारो द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
11	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमांक – 11 में प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।
12	उपर्युक्त शर्त्तो में से किसी भी शर्त्त का अनुपालन नही होने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक –11 में प्रतिवेदित किया है कि भूमि के अपयोजन हेतु स्वीकृत्यादेश में वर्णित शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 1914 दिनांक 3.10.2017 द्वारा प्राप्त अनुलग्नकों की 3(तीन) प्रतियाँ अत्रसह संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में उपरोक्त अनुपालन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

अनु0:– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

16/10/17

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम
जमशेदपुर

14/10/17

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा

Email-cfchaibasa@gmail.com, po-chaibasa, west singhbhum.

पत्रांक: 1914 / चाईबासा / दिनांक 03/10/17 /

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय :- गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत 2.5 एकड़ (1.0121हे0) वनभूमि का सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति (स्टेज-।) के शर्त्तों का अनुपालन के संबंध मे।

प्रसंग :-
1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ,राँची का पत्रांक वनभूमि - 07/2017-3428 व0प0 दिनांक 12.08.2017
2. वन संरक्षक-सह-उप निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 721 दिनांक 21.08.2017
3. आपका ज्ञापांक 2245 दिनांक 29.08.2017 तथा ज्ञापांक 2257 दिनांक 30.08.17
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक 2127 दिनांक 23.09.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में सूचित करना है कि गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फॉरवार्ड कैम्प की स्थापना हेतु राज्य सरकार की प्रासंगिक पत्र द्वारा 2.5 एकड़ (1.0121हे0) वनभूमि की सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति (स्टेज-।) प्रदान की गई है। स्वीकृत्यादेश में लगाए गए शर्त्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसे वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 2127 दिनांक 23.09.2017 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

वनभूमि अपयोजन स्वीकृत्यादेश शर्त्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

,क्रमांक	अपयोजन स्वीकृत्यादेश शर्त्त	अनुपालन
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	अपयोजन स्वीकृत वनभूमि की वैधानिक स्थिति नहीं बदले जाने की शर्त्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है.इस संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 1283 दिनांक 19.09.2017 द्रष्टव्य है, अनुलग्नक-1।
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ,नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या- WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाले 1.0121 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु अपयोजन स्वीकृत 2.5 एकड़ (1.0121हे0) का N.P.V. की राशि प्रमण्डलीय कार्यालय के माँग पत्र के अनुरूप संगणित राशि 7,38,833/- (सात लाख अड़तीस हजार आठ सौ तैतीस) रूपये भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से RTGS के द्वारा कैम्पा लेखा संख्या - CAF. Jharkhand SB-01025212 में जमा किया गया है (अनुलग्नक -2) ।
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है,तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है,तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करने संबंधी शपथ पत्र दिया गया है जो अनुलग्नक -3 के रूप में संलग्न है।

4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि RTGS के माध्यम से CAMPA खाता संख्या–CAF. Jharkhand SB-01025212 में जमा कर दिया गया है जमा रसीद अनुलग्नक – 2 में द्रष्टव्य है।
5	प्रस्तावित वनभूमि में पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के क्रम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 16 वृक्ष से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के क्रमाक –5 में प्रतिवेदित किया है कि कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में 16 वृक्ष से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
6	पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के उपरान्त ,जहाँ संभव हो सके, प्रस्तावित वनभूमि के खाली स्थानों पर वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित स्थल काफी कम है जिसमें जगह बचेगा, लेकिन घेरान पर वृक्षारोपन करा दिया जायेगा।
7	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के क्रमाक –7 में प्रतिवेदित किया है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।
8	वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के क्रमाक –8 में प्रतिवेदित किया है कि वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।
9	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है , तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के क्रमाक –9 में प्रतिवेदित किया है कि यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण पंजी रखी जायेगी तथा जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच कराई जायेगी।
10	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारो द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के क्रमाक – 10 में प्रतिवेदित किया है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों /ठेकेदारो द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
11	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283/सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के क्रमांक – 11 में प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।

94

12	उपर्युक्त शर्त्तो में से किसी भी शर्त्त का अनुपालन नही के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ने पत्रांक 1283 / सा0 शा0 दिनांक 19.09.2017 के कमाक –11 में प्रतिवेदित किया है कि भूमि के अपयोजन हेतु स्वीकृत्यादेश में वर्णित शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुपालन प्रतिवेदन उल्लेखित अनुलग्नकों की चार प्रतियाँ सहित अत्रसह संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित है।

अनु0– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

03/10/17

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

4014
5-10-17